

कार्यालय

क्रमांक—

दिनांक—

आयकर कटौती प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण, कार्मिकगण से वित्त वर्ष 2024-25 के आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिये है, एवं समस्त आयकर गणना पत्रों की जांच कर आयकर टीडीएस की कटौती कर ली है।

वेतन के अलावा अन्य विनियोग दस्तावेज अधिकारी, कर्मचारीगण से प्राप्त कर लिये गये है एवं संवेतन बिल की कार्यालय प्रति के साथ सुरक्षित रख लिये गये है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आयकर गणना के साथ संलग्न ट्यूशन फीस, रसीदों की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है तथा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को विदेशी संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस या किसी कोचिंग संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस की आयकर में राहत प्रदान नहीं की गई है।

इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थाओं की दान की गई राशि के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर आयकर में छूट प्रदान नहीं की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में संवेतन आयकर की कटौति नियमानुसार नहीं किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में मेरा होगा।

आहरण वितरण अधिकारी